

नेपाल राजपत्र

भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

काठमाडौं, मङ्सिर १० गते २०३१ साल

श्री ५ को सरकार
संचार मन्त्रालयको
सचना

जग्गा प्राप्त ऐन, २०१८ को दफा ७ को उप-दफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले काठमाडौंमा अर्को टेलिफोन एक्स्चेन्ज भवन निर्माण स्थापनाको लागि वाग्मती अञ्चल, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं नगर पञ्चायत वडा नं. २५ (ग) को निम्नलिखित जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय गरेकोले सम्बन्धित जग्गाधनीले जग्गाको मोल र अरु नोक्सानी बापत यस ऐन र जग्गा प्राप्त नियमहरू, २०२६ बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हुँदा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

पूर्व कि. नं. ६० को पोखरी, पश्चिम मूल सडक, उत्तर कि. नं. ६५, दक्षिण बालमन्दिर जाने मूल सडक यति ४ किल्लाभित्रको कि. नं. ६६ को ०-१५-२ पुरै, कि. नं. ६७ को १-६-० पुरै, कि. नं. ६८ को १-०-० पुरै, कि. नं. ६९ को ०-६-२ पुरै समेतको जम्मा जग्गा ३-१२-० (तीनरोपनी बाहुआना) को जम्मा मालपोत रु. (चौधरुपैयाँ सत्तरीपैसा) लागेको कित्ता ।

आज्ञाले-

तीर्थराज तुलाधर

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएको छ।
(१७) श्री ५ को सरकारको का. म. सचिव

३ १४

[illegible]

विश्वविद्यालय

115

॥ ३ ॥
 ॥ ४ ॥
 ॥ ५ ॥
 ॥ ६ ॥
 ॥ ७ ॥
 ॥ ८ ॥
 ॥ ९ ॥
 ॥ १० ॥
 ॥ ११ ॥
 ॥ १२ ॥
 ॥ १३ ॥
 ॥ १४ ॥
 ॥ १५ ॥
 ॥ १६ ॥
 ॥ १७ ॥
 ॥ १८ ॥
 ॥ १९ ॥
 ॥ २० ॥
 ॥ २१ ॥
 ॥ २२ ॥
 ॥ २३ ॥
 ॥ २४ ॥
 ॥ २५ ॥
 ॥ २६ ॥
 ॥ २७ ॥
 ॥ २८ ॥
 ॥ २९ ॥
 ॥ ३० ॥
 ॥ ३१ ॥
 ॥ ३२ ॥
 ॥ ३३ ॥
 ॥ ३४ ॥
 ॥ ३५ ॥
 ॥ ३६ ॥
 ॥ ३७ ॥
 ॥ ३८ ॥
 ॥ ३९ ॥
 ॥ ४० ॥
 ॥ ४१ ॥
 ॥ ४२ ॥
 ॥ ४३ ॥
 ॥ ४४ ॥
 ॥ ४५ ॥
 ॥ ४६ ॥
 ॥ ४७ ॥
 ॥ ४८ ॥
 ॥ ४९ ॥
 ॥ ५० ॥
 ॥ ५१ ॥
 ॥ ५२ ॥
 ॥ ५३ ॥
 ॥ ५४ ॥
 ॥ ५५ ॥
 ॥ ५६ ॥
 ॥ ५७ ॥
 ॥ ५८ ॥
 ॥ ५९ ॥
 ॥ ६० ॥
 ॥ ६१ ॥
 ॥ ६२ ॥
 ॥ ६३ ॥
 ॥ ६४ ॥
 ॥ ६५ ॥
 ॥ ६६ ॥
 ॥ ६७ ॥
 ॥ ६८ ॥
 ॥ ६९ ॥
 ॥ ७० ॥
 ॥ ७१ ॥
 ॥ ७२ ॥
 ॥ ७३ ॥
 ॥ ७४ ॥
 ॥ ७५ ॥
 ॥ ७६ ॥
 ॥ ७७ ॥
 ॥ ७८ ॥
 ॥ ७९ ॥
 ॥ ८० ॥
 ॥ ८१ ॥
 ॥ ८२ ॥
 ॥ ८३ ॥
 ॥ ८४ ॥
 ॥ ८५ ॥
 ॥ ८६ ॥
 ॥ ८७ ॥
 ॥ ८८ ॥
 ॥ ८९ ॥
 ॥ ९० ॥
 ॥ ९१ ॥
 ॥ ९२ ॥
 ॥ ९३ ॥
 ॥ ९४ ॥
 ॥ ९५ ॥
 ॥ ९६ ॥
 ॥ ९७ ॥
 ॥ ९८ ॥
 ॥ ९९ ॥
 ॥ १०० ॥

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागू हुनेछ।